दिनांक: 21.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.24 को वादिया श्रीमती प्रीति पत्नी प्रदीप निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **सोनी पुत्र गिरिराज निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर ने** आपराधिक षड़यन्त्र रचकर **अपने अन्य 07 साथियों के साथ** लाठी, डण्डो , सरिया, बिसौल्ली, कुल्हाडी से लैस होकर वादिया के घर में घुसकर उसके पति प्रदीप व पुत्र गौरव को जान से मारने कि नियत से मारपीट करना व गौरव उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु होने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 116/24 धारा 147/148/149/452/302/307/34 भादवि बनाम सोनी आदि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना का सफल अनावरण व इसमें शामिल अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.04.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे में नामजद 01 अभियुक्त **सोनी पुत्र गिरिराज नि0 ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को ग्राम उमाहीकला के पास से गिरफ्तार किया गया । विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 323/120बी भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सोनी उपरोक्त ने बताया कि गौरव पुत्र प्रदीप, उसके जीजी नितिन उर्फ निक्की व परिवार के अन्य लोगो ने 21 फरवरी 2023 को मेरे परिवार के भाई लोकेश पुत्र ओमपाल की हत्या कर दी थी। दिनाकं 20.04.2024 को प्रात : 07 बजे अपने भाई लोकेश की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने व मेरे परिवार के 07 अन्य व्यक्ति (1. मोनू, 2. संजय, 3. रामकुमार, 4. लखपत , 5. अमन, 6. अर्जुन 7. विजय) ने मिलकर गौरव की हत्या करने की योजना बना रहे थे। तभी गौरव के पिता प्रदीप पुत्र फूल सिंह हमारे घर आ गया और कहने लगा की मेर बेटे से जो पिछले वर्ष गलती से लोकेश की हत्या हो गयी थी उसके लिए उसे माफ कर दो और हमसे फैसला करने के लिये कहने लगा ताकि उसका दामाद जेल से बाहर आ सके। इसी बात को सुनकर मैने तथा मेरे भाई मोनू ने कहा कि पिछले साल तेरे दामाद नितिन उर्फ निक्की व लडके गौरव व अन्य रिश्तेदारो ने हमारे भाई लोकेश की हत्या कर दी थी। हम तुम्हे माफ नही कर सकते। हम तेरे बेटे गौरव की हत्या करने के बाद तुमसे फैसला कर लेंगे । फिर प्रदीप अपने घर चला गया। बाद में योजना के तहत मैं अपने घर से जानबूझकर सहारनपुर के लिए निकल गया। जिससे मैं जगह- जगह कैमरो में मेरी फोटो आ जाए। । इसके बाद मोनू , विजय, लखपत, रामकुमार , संजय , अमन व अर्जुन सभी ने योजना के तहत प्रदीप के घर में घुसकर गौरव की हत्या कर दी तथा उसके पिता को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोनी पुत्र गिरिराज निवासी ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त सोनी उपरोक्त का आपरधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 235/17 धारा- 147/148/149/307/332/336/341/353/427/504 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्मपत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 7 सी0एल एक्ट थाना रामपुर मनिहारान।
2. मु0अ0स0 314/17 धारा 147, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना रामपुर मनिहारान।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
2.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
3. हैड का0 391 मनोज कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 21.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 155 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण , अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे ,पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अभियुक्त **आशु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र जोनी निवासी मौहल्ला मीर्धान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम हुसैनपुर के बाहर जंगल वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से **155 ग्राम नाजायज चरस** बरामद हुई । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर **मु0अ0स0 103/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त आशु उर्फ आस मोहम्मद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने यह चरस आने जाने वाले ट्रक ड्राईवरों से सस्ते दामों पर खरीद कर, आस पास के क्षेत्र में मंहगे दामों पर बेच देता हूं, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है । आज भी मै यह चरस बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया ।

अभियुक्त का नाम पता-

आशु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र जोनी निवासी मौ0 मीरधान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0स0 140/18 धारा 380/457/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

2.मु0अ0सं0 410/22 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

3.मु0अ0सं0 193/23 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

155 ग्राम नाजायज चरस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

2.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

3.है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिक से छेड़छाड़ का 01 वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभुयक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा थाना मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2024 धारा 354/354-ग/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट वांछित अभियुक्त **रोहित पुत्र सुनील नि0 गणेश विहार कालोनी निकट तोता चौंक थाना मण्डी सहारनपुर** मुखबिर की सूचना पर तोता चौक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रोहित पुत्र सुनील नि0 गणेश विहार कालोनी निकट तोता चौंक थाना मण्डी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिहं थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1761 संदीप कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 2341 नितिन पँवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित बाल अपचारी लिया गया अभिरक्षा में

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभुयक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-- 092/2024धारा- 380/411 भादवि के 01 वांछित बाल अपचारी को आज दिनाक 21.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर फिरोजाबाद अब्दुल्लापुर अहाडी कट के पास से अभिरक्षा में लिया गया है। गिरफ्तार बाल अपचारी को समय से सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 गले का मंगल सूत्र
- 01 अंगूठी सफेद धातू
- 01 जोडी कानो के कुन्डल
- 01 नोजपीन पीली धातू

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।